मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र./2443/MGNREGS-MP/मॉनिट/NR-7/मनरेगा/11 भोपाल, दिनांक 01/03/2011

प्रति,

जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर,
जिला ....(समस्त)
(भिण्ड, मुरैना, नरसिंहपुर, ग्वालियर, सिवनी, जबलपुर, दतिया, सिंगरौली, बुरहानपुर, शिवपुरी, गुना को छोड़कर)

विषय : **योजनांतर्गत कार्यों की लागत में मजदूरी एवं सामग्री के निर्धारित अनुपात में विसंगति ।**

उपरोक्त विषयांतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के कार्यों में मजदूरी एवं सामग्री के घटक का अनुपात कार्य की कुल लागत का 60:40 होना चाहिये ।

कृपया संलग्न प्रपत्र पर दर्शित अपने जिले की प्रगति का अवलोकन करें, जिसमें व्यय राशि में मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 60:40 से कम है। **यह विसंगति महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की अनुसूची–1 की कंडिका 9 का स्पष्ट उल्लंघन है।** भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भी इस संबंध में आपत्ति व्यक्त की गई है।

इस विसंगति को दूर करने लिये एवं भविष्य में मजदूरी और सामग्री के अनुपात को निर्धारित सीमा तक पहुंचाने के लिये आज दिनांक से आगामी आदेश तक आपके जिले में स्टापडेम एवं अन्य किसी भी प्रकार के पक्के निर्माण कार्यों की स्वीकृतियों को प्रतिबंधित किया जाता है।

आप अपने जिले में स्वीकृत कार्यों की समीक्षा कर मजदूरी एवं सामग्री के अनुपात को व्यवस्थित करने के लिये विशुद्ध रूप से श्रम मूलक कार्य को प्रोत्साहित करते हुए श्रम मूलक कार्य प्रारंभ करायें । मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में अभिसरण की पद्धति को बढ़ावा दे । मेंढबंधान के प्रकरणों को प्रोत्साहित करें।

वित्तीय वर्ष 2010–11 की समाप्ति तक आपके जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के कार्यो में मजदूरी और सामग्री के अनुपात में प्रगति परिलक्षित न होने पर अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की अवस्था बनेगी जिसके लिये आप व्यक्तिगत उत्तरदायी होंगे।

(आर. परशुराम)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र./2444/MGNREGS-MP/मॉनि़ट/NR-7/मनरेगा/11 भोपाल, दिनांक 01/03/2011

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संभाग आयुक्त की ओर सूचनार्थ।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग